न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 55 / 2023 विविध
पीठासीन अधिकारी:–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांक:– 03.06.2024

1. कैलाश पुत्र हरदेव
2. बाबूलाल पुत्र पुराराम
3. लालचंद पुत्र हरिनारायण
4. गोरधन पुत्र हरिनारायण
5. नन्छी देवी पत्नी स्व० हरिनारायण
6. कालूराम पुत्र स्व० शंकर
7. सुनील पुत्र स्व० शंकर
8. मन्नी देवी पुत्री स्व० शंकर
9. मीरा देवी पुत्री स्व० शंकर
10. कस्तुरी देवी पुत्री स्व० शंकर
11. लाली देवी पुत्री स्व० शंकर

समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम जगन्नाथपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राज०।

प्रार्थीगण

बनाम

1. गडूली देवी पत्नी बालूराम
2. गोपाल पुत्र जगदीश
3. बद्री पुत्र स्व० मूला
4. बालू पुत्र जगदीश
5. भूली देवी पत्नी गोपाल
6. रसाल देवी पत्नी रामभुज
7. रामभुज पुत्र स्व० मूला
8. सुज्ञान देवी पत्नी बद्री
9. सवाईराम पुत्र स्व० मूला
10. सोहनी देवी पत्नी स्व० मूला

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम चांदमा खुर्द, तह० फागी, जिला राज०।

11. गोरधन पुत्र सूजीलाल
12. घासीराम पुत्र सूजीलाल
13. बालूराम पुत्र सूजीलाल
14. शंकर पुत्र सूजीलाल
15. गोविन्दनारायण पुत्र रामपाल

समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम जगन्नाथपुरा, तह० सांगानेर, जिला जयपुर, राज०।

16. तहसीलदार फागी, तह फागी, जिला जयपुर, राज०।

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

अप्रार्थीगण

लगातार.....2

(2)

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताः– श्री सीताराम सैनी वकील प्रार्थीगण
प्रार्थना–पत्र पत्थरगढ़ी किये जाने बाबत

निर्णय दिनांकः– 03.06.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि आराजी खतौनी संख्या 201 के खसरा नम्बर 294 / 465 रकवा 2.5290 हैक्टेयर, खाता संख्या 54 के खसरा नम्बर 294 / 470 रकबा 2.5290 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम चांदमा खुर्द, तह. फागी, जिला जयपुर में स्थित है, जिसके प्रार्थीगण दर्ज राजस्व रिकार्ड अनुसार अलग–अलग खाता अनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार एवं काबिज काश्त है। उक्त आराजी से अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। उक्त आराजीयात का मूल खसरा नम्बर 294 वाके ग्राम चांदमा खुर्द, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है, जिसके खाते अल्हदा–अल्हदा होकर मौके पर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित तरमीम हो चुकी है एवं प्रार्थीगण अपने हिस्से की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर मेड़बंदी डालकर काबिज काश्त चले आ रहे हैं लेकिन अप्रार्थीगण पड़ौसी खातेदारों के आराजी खसरा नम्बर 294 / 475 रकबा 2.4026 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 293 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 294 / 494 रकबा 1.7703 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के लगवा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण आपस में पड़ोसी खातेदार है लेकिन प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की सीमा पर अप्रार्थीगण आये दिन हर वर्ष मेर–कोर को दबाते चले आ रहे हैं आये दिन मेर–कोर की सीमाओं को लेकर लड़ाई–झगड़ा करते रहते है इसलिये प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बरान का विधिवत तहसीलदार, फागी के द्वारा सीमाज्ञान करवा लिया है उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थीगण की भूमि में अवैधानिक रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते हैं, जिसका अप्रार्थीगण को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है इसलिये प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढ़ी करवाई जाकर पुलिस इमदाद दिलवाया जाना कानूनन न्यायोचित है, ताकि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की सुरक्षा हो सके। आराजीयात बाबत् प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान करवाने बाबत् प्रार्थना–पत्र तहसीलदार फागी के समक्ष प्रस्तुत करने पर आदेश क्रमांक / एलआर / 2022 / 1240–1241 दिनांक 11.04.2022 की पालना में उक्त आराजी का सीमाज्ञान किया जाकर मौका रिपोर्ट दिनाक 26.06.2022 प्रस्तुत की गई जिस पर मौके पर समस्त प्रार्थीगण एवं गाँव के लोग व पड़ोसी खातेदारों ने सोच–समझकर अपने–अपने हस्ताक्षर किये एवं अप्रार्थीगण को सूचना देने के बाद भी जानबुझकर मौके पर उपस्थित नहीं हुये उक्त सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2022 की आपत्ति अप्रार्थीगण ने आज तक नहीं की है बल्कि उक्त

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

लगातार..........................3

सीमाज्ञान के मुताबिक प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पडौसी खातेदारों की भूमि में निकलती है। उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 26.06.2022 के मुताबिक पत्थरगढ़ी कार्यवाही जाकर प्रार्थीगण को पुलिस इमदाद दिलवाई जाना आवश्यक है। अगर उक्त सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढ़ी नहीं करवाई जाती है तो अप्रार्थीगण जबरन प्रार्थीगण की भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर जायेंगे जिससे आपस में लड़ाई–झगड़ा होगा एवं व्यर्थ में मुकदमें बाजी बढ़ेगी इसलिये न्यायहित में प्रार्थीगण को पुलिस इमदाद दी जाकर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायसंगत है। उक्त पत्थरगढ़ी में नियमानुसार होने वाला खर्चा प्रार्थीगण वहन करने को तत्पर है। विवादित आराजी एवं पक्षकारान् मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से सुनवाई का श्रीमान को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 16 बाद तामील उपस्थित नही आये। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 16 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

बहस एकतरफा सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थी ने हस्तगत प्रकरण पत्थरगढी का पेश किया है। उक्त विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम चान्दमाखुर्द में स्थित है। मुताबिक जमाबंदी 2075–2078 वाके ग्राम चांदमा खुर्द के खाता संख्या 201 के खसरा नम्बर 294/465 रकबा 2.5290 हैक्टेयर व खाता संख्या 54 के आराजी खसरा नम्बर 294/470 रकबा 0.2590 हैक्टेयर में प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्सानुसार रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 3 मे अंकित किया है कि पूर्व मे दिनांक 11.04.2022 को विधिवत रूप से सीमाज्ञान हो चुका है। सीमाज्ञान होने के पश्चात भी पडौसी काश्तकार आपस मे सीमाओं को लेकर विवाद करते है। इसलिये प्रार्थीगण अपनी सीमाओं की पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे पडौसी खातेदारों से विवाद होना बताया है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में पडौसी खातेदारान के मध्य अनावश्यक विवाद

लगातार.........................4

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

नहीं बढ़े एवं पडौसी काश्तकारों के मध्य शान्ति बनाऐं रखने हेतु न्यायालय सभी पडौसी खातेदारान की उपस्थिति में पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी आराजी खतौनी संख्या 201 के खसरा नम्बर 294 / 465 रकबा 2.5290 हैक्टेयर व खाता संख्या 54 के आराजी खसरा नम्बर 294 / 470 रकबा 0.2590 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम चांदमा खुर्द तह0 फागी जिला जयपुर हाल जिला दूदू में स्थित आराजीयात का सभी पडौसी खातेदारान को नोटिस जारी कर समस्त पडोसी खातेदारान की मौजूदगी में पुनः सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

3/6/24

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला दूदू

सत्यमेव जयते